वेतन पर आयकर गणना - एक अवलोकन

वी०के० शर्मा
पंकज गर्ग

एक बार फिर आयकर की चिन्ता सरकारी कर्मचारी के सिर पर सवार है। केन्द्रीय सरकार के तृतीय श्रेणी के कर्मचारी भी आयकर की चपेट में फँसते जा रहे है। इस लेख का उद्देश्य मात्र सरल भाषा में आयकर की गणना एवं कर योग्य आय व बचत के प्रावधानों पर प्रकाश डालना है।

कर निर्धारण वर्ष - विभिन्न वित्तीय वर्ष की समाप्ति से शुरू होने वाले अगले वर्ष को कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। जैसे कि वित्तीय वर्ष 2001 -2002 के लिए कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 कहलायेगा।

वर्ष 2001-2002 के लिए आयकर का निर्धारण इस प्रकार है -

	आय सीमा		आयकर की दर
रू०	50,000	तक	शून्य
रू०	50,001	---60,000	10%
रू०	60,001	--1,50,000	20%
रू०	1,50,001	एवं अधिक	30%

अधिभार - देय आयकर पर 2% की दर से वर्तमान वर्ष में अधिभार देय है।

मानक कटौती की दरें इस प्रकार है -- (2001-2002)

	आय सीमा		मानक कटौती
1.	एक लाख रू० से आय सीमा तक	--	30,000 रू०
2.	एक लाख से	1.5 लाख --	30,000 रू०
3.	1.5 लाख से	3 लाख --	25,000 रू०
4.	3 लाख से	5 लाख --	20,000 रू०
5.	5 लाख से ऊपर		शून्य

वेतन वर्ग के लिये आयकर अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारायें 88, 88 –B, 80 –L, 80 – ccc(I), 10, एवं 24 है। धारा 88 - इस धारा के अन्तर्गत योजनाओं में 60,000 तक निवेश करने पर निवेशित धन के 20% के बराबर आयकर में छूट मिलती है। इस योजना में 20,000 रूपये का निवेश मात्र आधार भूत सरंचना बाण्ड योजना (इन्फ्रास्ट्रैक्चर) के लिये निर्धारित है। जिसमें यह छूट 20% की है। इस प्रकार धारा 88 के अन्तर्गत 60,000 + 20,000 = 80,000 रूपये का निवेश करके यह छूट 16,000 रू०

तक की सीमा तक बढ़ाई जा सकती है। यदि UTI/LIC की रिटायमेंट बेनिफिट योजना में 10,000 रू० निवेश करके इस योजना को 90,000 रू० तक बढ़ाया जा सकता है।

इसके घटक निम्न प्रकार है --

1. सामान्य भविष्य निधि -- CPF, PPF, GPF, EPF
2. राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र -- NSC
3. UTI की म्यूचल फण्ड योजना
4. जीवन बीमा निगम/पोस्ट बीमा निगम/ ULIP/धन रक्षा,यूनिट ट्रस्ट की रिटायरमेंन्ट बैनिफिट योजना।
5. इन्फरा स्ट्रैक्चर बाण्ड –LIC/ICICI/IDBI/UTI .
6. ग्रह निर्माण की वापसी की किशत की कुल राशि 20,000 रू०।

धारा –24- मकान सम्पत्ति से आय - इस धारा के अन्तर्गत किराये की आय का 30% भाग ग्रहकर,जलकर घटाने के बाद, छूट के रूप में प्राप्त है।

US 80 (L) इस योजना के अर्न्तगत बैंक से जमा राशि पर ब्याज 9,000 रू० सीमा तक कर मुक्त है। किन्तु केन्द्र व राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में लगाये गये धन पर 3,000 रू० की अतिरिक्त छूट का प्रावधान है। इस प्रकार धारा के अन्तर्गत ब्याज की अधिकतम सीमा 12,000 रू० छूटकर योग्य है।

एक उदाहरण -

किसी कर्मचारी की वार्षिक आय भत्तों सहित 1,50,000 रू० होने पर विभिन्न योजनाओं में निवेश करने पर, देय आयकर की गणना -

आयकर देय -

(i)	सकल आय,	1,50,000 = 00
	मानक कटौती	30,000 = 00
	शुद्ध आय	1,20,000 = 00

कर गणना -

50,000	---	शून्य
50,000- 60,000-@ 10%		1,000 =00
60,000 –1,20,000@ 20%		12,000 =00
		13,000 = 00

कर्मचारी द्वारा धारा 88 के अन्तर्गत बचत :

सी.पी.एफ. = 10,000=00
कर्मचारी बीमा योजना = 3,192 =00
जीवन बीमा निगम = 7,000 =00
राष्ट्रीय बचत पत्र = 10,000 =00
म्यूचल फण्ड में निवेश =12,000 =00
भवन अग्रिम की वापसी =24,000=00

कर की छूट विभिन्न धारायें -

CPF	10,000=00
LIC	3,192=00
LIC PRIMIUM	7,000=00
NSC	10,000=00
MUETUAL FUND	10,000=00
HBA RETURN	20,000=00

	60,192 @ 20/= 12,000/=

देय आयकर 13,000 –12,000 =1,000/=

इस आयकर की बचत करने के लिये 88 धारा के अन्तर्गत इन्फ्रा स्ट्रैचर वाण्ड में निवेश करना होगा। ICICI, IDBI, LIC, UTI के बाण्डों में रू० 10,000 लगाना होगा तो देय आयकर शून्य होगा।

***